NSDL
Technology, Trust & Reach

द फाइनेंशियल कैलिडोस्कोप

डिफाइनिंग द डिफरेंट शेप्स ऑफ़ इन्वेस्टमेंट

फरवरी
2021

टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स

संपादक की कलम से

प्रिय पाठकों,

2020 ऐसा वर्ष था जिसे भूल जाना ही अच्छा है। विशेषकर आर्थिक मापदंडों पर यह वर्ष अनिश्चितताओं के कारण बड़ा कठिन रहा। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम, व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों का ह्रास और व्यक्तिगत स्तर पर धन का नाश था। ये कठिनाइयां उन लोगों के लिए ज्यादा थीं जिन्हें वेतन में कटौती झेलनी पड़ी या अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा।

फिर भी वित्तीय वर्ष 2021-22 की शरुआत के साथ हम एक बेहतर भविष्य की आशा करते हैं। हमारे लिए अपनी वित्तीय योजना पर दोबारा गौर करना महत्वपूर्ण है। हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा करने की, वित्तीय जोखिम उठाने की हमारी क्षमता को फिर से मापने की और जीवन के नए यथार्थ के प्रकाश में हमारे व्यक्तिगत वित्त को पुनर्गणना करने की आवश्यकता है। यदि आप ने अभी कमाना शुरू किया है या अपने वित्तीय नियोजन के बारे में अनिश्चित हैं तो यह यात्रा शुरू करने के लिए आज का दिन सबसे अच्छा दिन है।

वित्तीय योजना के मुख्य स्तंभों में से एक आयकर योजना है। हम स्पष्ट कर दे कि यह कर चोरी से बिल्कुल अलग है (यानी करों से बचने के लिए उनका भुगतान ना करना - जो कि अवैध है)। हम कानूनी रूप से उपलब्ध विभिन्न छूटों और कटौतियों का लाभ उठाकर किसी व्यक्ति की आयकर देयता को कम करने की बात कर रहे हैं।

'द फाइनेंशियल कैलिडोस्कोप' के इस अंक में हम आयकर अधिनियम, 1961 में व्यक्तिगत करदाताओं के लिए उपलब्ध कुछ महत्वपूर्ण छूट और कटौतियों को समझने की कोशिश करेंगे। हम उन विभिन्न टीएसआई पर नज़र डालेंगे जो कर बचाने के साथ-साथ कर- मुक्त आय भी देते हैं।

हम आशा करते है कि यह अंक आपको कर-बचत की व्यवस्था को ठीक करने में कुछ मदद करेगा जो वर्ष के इस समय बहुत अधिक हो जाती है। हम गए वर्ष से सीख लेते हुए एक बेहतर वर्ष की आशा करते हैं। इससे पहले कि आप अंदर के विवरणों को पढ़ना शुरू करें, हम आपको यह बताना चाहेंगे कि यहां हमारा उद्देश्य आपको कर देनदारी के संबंध में कुछ सामान्य जानकारी देना है। निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया एक योग्य और पंजीकृत निवेश सलाहकार की मदद लें।

सादर प्रणाम,
टीम एनएसडीएल

आयकर अधिनियम और कटौती

आयकर अधिनियम के कुछ प्रावधान करदाताओं को छूट और आय से कटौती देकर समग्र कर देयता को कम करने में मदद करते हैं। अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत विभिन्न प्रकार की कटौतियां उपलब्ध है मगर अधिनियम की धारा 80सी शायद व्यक्तिगत करदाताओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है।

विशिष्ट निवेश, बीमा प्रीमियम और पेंशन योगदान

आयकर अधिनियम की धारा 80सी करदाताओं को निर्दिष्ट योजनाओं में किए गए निवेश पर कटौती की अनुमति देती है। इनमें जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स (ईएलएसएस), सार्वजनिक भविष्य निधि में योगदान (पीपीएफ), 5 वर्ष या उससे अधिक के लिए निर्दिष्ट सावधि जमा (एफडी), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), सुकन्या समृद्धि योजना, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप), पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट इत्यादि भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ व्यक्ति आवासीय ऋण चुकाने (खरीद या निर्माण के लिए) के साथ-साथ पंजीकरण, स्टांप ड्यूटी और अन्य शुल्कों के लिए भी कटौती का दावा कर सकते हैं।

धारा 80सीसीसी किसी व्यक्ति को एलआईसी या किसी अन्य बीमा कंपनी के पेंशन फंड में भुगतान की गई राशि के लिए कटौती प्रदान करता है।

धारा 80सीसीडी (1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत खोले गए टियर 1 खाते में कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान के लिए कटौती की अनुमति देता है। यह कटौती ₹1,50,000 तक हो सकती है, जो वर्ष की सकल आय का 10% से अधिक नहीं हो।

एनपीएस के बारे में एक अनोखी बात यह है कि टियर 1 खाते में किए गए योगदान के लिए धारा 80सीसीडी (1 बी) के तहत ₹50,000 तक की विशिष्ठ और अतिरिक्त कटौती उपलब्ध है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति एनपीएस के टियर 1 खाते में योगदान कर ₹200,000 तक की कटौती का लाभ उठा सकता है।
80सी, 80सीसीसी और 80सीसीडी के तहत करदाता प्रति वर्ष ₹200,000 तक की संचयी कटौती का दावा कर सकते हैं। वैसे अधिकतम राशि का दावा करना जरूरी नहीं है लेकिन यदि आप कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, तो निर्दिष्ट योजनाओं में निवेश करना और जितना संभव हो उतना कर - लाभ प्राप्त करना बेहतर है। यह न केवल आपकी तत्काल कर देयता को कम करेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में ब्याज, लाभांश आदि के रूप में कुछ अतिरिक्त आय उत्पन्न करने में भी आपकी मदद करेगा।

उदाहरण

रमेश और सुरेश दो मित्र हैं जो एक ही कंपनी में काम करते हैं और समान आय अर्जित करते हैं। रमेश अपनी वित्तीय योजना के बारे में लापरवाह है जबकि सुरेश जानकार है और अपनी वित्तीय योजना और निवेश के बारे में सचेत है।

आइए वर्ष के अंत में उनके देय आयकर की तुलना करें।

विवरण	रमेश	सुरेश
असल कराधीन आय	15,00,000	15,00,000
80सी के तहत निवेश	0	1,25,000
एनपीएस में अभिदान	0	25,000
देय कर	2,73,000	2,26,200

*सभी राशि ₹ में

सुरेश ने ₹1,50,000 निवेश करके देय कर पर ₹46,800 की बचत की। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 80सी के तहत की जाने वाली कटौती में भविष्य निधि की ओर कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गई राशि भी शामिल है। इसलिए यदि आप भविष्य निधि लाभ प्राप्त करने वाले एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो आप धारा 80सी के तहत पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए भविष्य निधि में निवेश की जाने वाली राशि को घटा सकते हैं।

स्वास्थ्य और विकलांगता

धारा 80डी स्वयं, जीवनसाथी, आश्रित बच्चों और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम के लिए भुगतान पर कटौती प्रदान करता है। ₹1,00,000 तक की कुल राशि पर उपलब्ध कटौती इस प्रकार है:

- स्वयं, जीवनसाथी और आश्रित बच्चों के लिए: ₹25,000 (₹50,000 यदि बीमित व्यक्ति एक वरिष्ठ नागरिक है*)।
- करदाता के माता-पिता के लिए: (अतिरिक्त) ₹25,000 (₹50,000 अगर बीमा कराया गया व्यक्ति एक वरिष्ठ नागरिक है)।

- स्वास्थ्य बीमा के संबंध में किसी राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर वरिष्ठ नागरिक के लिए चिकित्सा व्यय: ₹50,000।

धारा 80डीडी ऑटिज्म, सेरेब्रल सहित विकलांगता के लिए किए गए खर्चों (नर्सिंग सहित), प्रशिक्षण और पुनर्वास पर कटौती प्रदान करता है। विकलांगता के साथ आश्रित के रखरखाव के लिए निर्दिष्ट योजनाओं को किए गए भुगतान पर भी कटौती की अनुमति है। करदाता प्रति वर्ष ₹75,000 (गंभीर विकलांगता के मामले में ₹1,25,000) तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।

धारा 80डीडीबी कुछ निर्दिष्ट रोगों जैसे डिमेंशिया, पार्किंसन, एड्स की चिकित्सा के लिए किए गए खर्चों की कटौती की अनुमति देता है।इसके तहत ₹40,000 तक की कटौती (₹1,00,000 यदि किसी वरिष्ठ नागरिक के लिए की जाती है) प्रति वर्ष उपलब्ध है।

धारा 80यू ऐसे करदाताओं के लिए एक कटौती प्रदान करता है जो निर्दिष्ट रोगों जैसे ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और अन्य निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति ₹75,000 (गंभीर विकलांगता की स्थिति में ₹1,25,000) की कटौती का दावा कर सकते हैं।

उदाहरण

आइए रमेश और सुरेश के हमारे पहले उदाहरण को जारी रखें। पहले ली गई कटौती के अलावा, सुरेश ने स्वयं के साथ (₹25,000 का प्रीमियम) अपने माता-पिता के लिए जो वरिष्ठ नागरिक हैं (प्रीमियम ₹50,000) स्वास्थ्य बीमा भी खरीदा।

आइए वर्ष के अंत में उनके देय आयकर की तुलना करें।

विवरण	रमेश	सुरेश
असल कराधीन आय	15,00,000	15,00,000
80सी के तहत निवेश	0	1,25,000
एनपीएस में अभिदान	0	25,000
स्वयं के साथ अपने माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा	0	75,000
कर देय	2,73,000	2,02,800

सभी राशि ₹ में

सुरेश ने देय कर पर ₹70,200 की बचत की।

दान और अन्य योगदान

धारा 80जी व्यक्तियों को स्वीकृत निधि, ट्रस्ट और धर्मार्थ संस्थानों में किए गए दान पर कटौती का दावा करने की अनुमति देता है। प्रमुख राष्ट्रीय कारणों जैसे कि पीएम केयर्स फंड, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, राष्ट्रीय रक्षा कोष आदि में दिया गया योगदान 100% कर-मुक्त हैं। इसके अलावा दिए गए दान जिनमें ऐसे कई पंजीकृत संगठन जो लाभ नहीं लेते हैं, उनमें दिया गया योगदान 50% तक की कटौती के लिए योग्य हैं।

धारा 80जीजीसी व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक दलों या चुनावी ट्रस्टों में योगदान के रूप में भुगतान की गई राशि पर पूर्ण कटौती की अनुमति देता है।

आयकर अधिनियम के तहत कटौती की अनुमति का सारांश और सीमा

धारा	विवरण	वार्षिक कटौती सीमा
80सी	निर्धारित साधनों में निवेश, बीमा प्रीमियम का भुगतान, पीपीएफ में योगदान, आवास ऋण की अदायगी आदि	1,50,000
80सीसीसी	एलआईसी या अन्य बीमा कंपनियों के पेंशन उत्पादों में योगदान	1,50,000
80सीसीडी	पेंशन योजना में कर्मचारी के वेतन का 10% तक योगदान	1,50,000
80डी	स्वयं, जीवनसाथी और बच्चों के लिए चिकित्सा बीमा के प्रीमियम का भुगतान	25,000 (50,000)[1]
80डी	माता-पिता के लिए चिकित्सा बीमा के प्रीमियम का भुगतान	25,000 (50,000)[1]
80डीडी	आश्रित विकलांगो के रखरखाव और चिकित्सा उपचार पर व्यय	75,000 (1,25,000)[2]
80डीडीबी	स्वयं या आश्रितों के लिए निर्दिष्ट गंभीर बीमारियों के चिकित्सा उपचार पर व्यय	40,000 (1,00,000)[1]
80यू	विकलांगो के लिए कटौती	75,000 (125,000)[2]

80ई	शिक्षा ऋण पर दिया गया ब्याज (आठ वर्ष तक)	संपूर्ण राशि
80जी	स्वीकृत धन और धर्मार्थ संस्थानों को दिया गया दान	100% or 50%
80जीजीसी	पंजीकृत राजनीतिक दलों को दिया गया दान या चुनावी चंदा	100%

टीप -
1. वरिष्ठ नागरिक
2. गंभीर विकलांगता के लिए

टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स (टीएसआईएस)

जैसा कि हमने देखा, आयकर अधिनियम की धारा 80सी और अन्य संबंधित अनुभाग, करदाताओं को निर्दिष्ट वित्तीय साधनों में किए गए निवेश के लिए कुछ कटौती प्रदान करते हैं। ये उपकरण कर-बचत उपकरणों के रूप में भी जाने जाते हैं। हमारी प्राथमिकता हमारे कर दायित्व को कम करना है, इसलिए हमें इन प्रावधानों में से योजनाबद्ध और सूचित तरीके से विकल्प चुनना महत्वपूर्ण है।

टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट कैसे चुनें?

किसी भी निवेश निर्णय के साथ उससे जुड़े जोखिम कारकों और व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत जोखिम सहिष्णुता के अलावा, सही टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट् का चयन मुख्यतः दो कारकों पर निर्भर करता है।

निवेश पर लाभ (आरओआई)

लाभ किसी भी निवेश का सबसे जरूरी सिद्धांत है। इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए उससे होने वाला लाभ समझना जरूरी है। वैसे तो कोई भी भविष्यवाणी करना मुश्किल है मगर वर्तमान बाजार के विश्लेषण के साथ उसके पिछले प्रदर्शन और व्यक्ति विशेष की वित्तीय आवश्यकताएं हमें काफी हद तक सही तस्वीर प्रदान कर सकती हैं।

लॉक-इन अवधि

कुछ निवेश लॉक-इन अवधि के साथ आते हैं, जिसके दौरान निवेशक को निवेश को बेचने, गिरवी या बंधक रखने की अनुमति नहीं होती है। उदाहरण के लिए, कर-बचत एफडी में लॉक-इन की अवधि कम से कम 5 साल, ईएलएसएस फंड के लिए 3 साल और पीपीएफ के मामले में 15 साल है। हालांकि यह निवेशक को लंबी अवधि तक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन वित्तीय आपात स्थिति में यह निवेश तरलता नहीं दे सकता। इसलिए हर निवेश की लॉक-इन अवधि का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है।

कुछ लोकप्रिय टीएसआई

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस):

यह टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के रूप में भी जाना जाता है। ईएलएसएस एक पंजीकृत एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) द्वारा दिया जाने वाला एक इक्विटी-आधारित म्यूचुअल फंड है। इक्विटी मार्केट से जुड़े होने की वजह से इसमें स्मार्ट रिटर्न अर्जित करने की क्षमता है और अधिक जोखिम लेने वाले लोगों के लिए ही अनुशंसित है। 3 साल की न्यूनतम अवधि के लिए ₹1,50,000 तक के निवेश कटौती के पात्र हैं। ईएलएसएस फंड्स में निवेश करने के लिए निवेशक अपने मौजूदा डीमैट खातों का उपयोग कर सकते हैं।

सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ):

यह बैंकों और डाकघरों द्वारा के रूप दी जाने वाली सबसे लोकप्रिय कर-बचत निवेश योजनाओं में से एक है। यह 15 साल की लॉक-इन अवधि के साथ, 7 साल के बाद हर साल आंशिक निकासी के प्रावधान देने वाला एक दीर्घकालिक निवेश है। एक व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 12 जमाओं की सीमा के साथ अधिकतम ₹1,50,000 तक निवेश कर सकता है। पीपीएफ की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि यह अंशदान की राशि, अर्जित ब्याज और परिपक्वता पर आय इन तीनों पर टैक्स छूट प्रदान करता है। हालाँकि, यह स्थिति 1 अप्रैल, 2021 से बदल सकती है क्योंकि इस साल बजट में प्रस्तावित है कि पीपीएफ पर एक वर्ष में ₹5,00,000 से अधिक की आय पर ब्याज लगाया जाए।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस):

यह एक सेवानिवृत्ति-केंद्रित, दीर्घकालिक निवेश विकल्प है जो 18 से 65 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। एनपीएस के पीछे मूल विचार सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली है। जब आप कमा रहे हों तब आप निवेश करें और जब आप सेवानिवृत्त हों तो वार्षिकी के रूप में नियमित आय प्राप्त करें। सेवानिवृत्ति से पहले निकासी पर प्रतिबंध, वास्तव में पैसे को बढ़ने के लिए एक लंबा समय प्रदान करता है। ग्राहकों द्वारा योगदान किए गए धन को पेंशन फंड मैनेजर द्वारा निवेश पर कई विवेकपूर्ण प्रतिबन्ध हैं जिससे निवेश राशि पर एक समुचित दर से आय मिलने में मदद मिलती हैं।

एनपीएस में दो प्रकार के खाते हैं -

- **टियर 1**: यह वास्तव में एक पेंशन खाता है जो सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित आय प्रदान करता है। एनपीएस टियर । खाते में किए गए योगदान धारा 80सीसीडी के तहत ₹50,000 की अतिरिक्त कटौती के लिए पात्र हैं। यह धारा 80 सी के तहत उपलब्ध ₹1,50,000 की कटौती के अलावा दी जाती है।

- **टियर 2**: यह एक वैकल्पिक खाता है जो एनपीएस ग्राहक चाहें तो खोल सकते हैं। सरल शब्दों में, यह अपेक्षाकृत सस्ते म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, जहां जरूरत पड़ने पर पैसे निकाले जा सकते हैं। हालांकि, यह कोई कर लाभ प्रदान नहीं करता है।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी): यह सरकार द्वारा दी जाने वाली बचत योजना है जो डाकघरों द्वारा प्रदान की जाती है। यह जोखिम-मुक्त, मध्यम- लाभ, कर- बचत निवेश है जो सुरक्षित और आश्वस्थ लाभ की तलाश करने वालों के लिए उचित है।

सुकन्या समृद्धि योजना:

सरकार द्वारा बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक छोटी जमा योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता 10 वर्ष की आयु से पहले किसी लड़की के माता-पिता या अभिभावक द्वारा अधिकांश डाकघरों या कई अधिकृत वाणिज्यिक बैंकों में खोला जा सकता है। इस खाते में कर कटौती के लिए न्यूनतम जमा ₹250 और अधिकतम ₹1,50,000 वार्षिक राशि की आवश्यकता होती है। जमा राशि पर ब्याज सालाना जमा होता है। ब्याज और परिपक्वता भुगतान दोनों पर कर से पूरी छूट दी गई है। इस योजना पर ब्याज सरकार द्वारा तिमाही आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह आम तौर पर प्रचलित सावधि जमा दरों से अधिक होता है। हालांकि इस योजना की अवधि 21 साल है, परन्तु जमा केवल 15 साल तक किया जा सकता है।

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप):

यूलिप बीमा और निवेश का एक संयोजन हैं जो अधिकृत बीमा कंपनियों द्वारा दिया जाता है। इसमें निवेश धारा 80सी के तहत प्रति वर्ष ₹1,50,000 की अधिकतम राशि के लिए कर कटौती का पात्र है। यूलिप में 3 से 5 वर्षों तक की लॉक-इन अवधि हो सकती है, जिसके दौरान जीवन बीमा, इक्विटी या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में निवेश का एक हिस्सा आवंटित किया जाता है। यूलिप से परिपक्वता पर मिलने वाले लाभ पर कर से छूट मिलती है।

टीएसआई, धन सृजन और आप

धन सृजन में टीएसआई का योगदान

हम सब चाहते है कि सेवानिवृत्ति के बाद हम खुद को और अपने परिवार को आर्थिक रूप से स्थिर जीवन दे सकें। वस्तुतः यही हमारे जीवन भर काम करने के पीछे की भावना होती है। हालांकि उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक निश्चित राशि और वित्तीय योजना की आवश्यकता होती है। यहाँ वर्णित योजनाएं भी धन सृजन की प्रक्रिया है। यह एक पद्धतिगत और क्रमिक प्रक्रिया है जहां धन के संचय के लिए कई घटक एक दूसरे के साथ काम करते हैं। कानूनी प्रावधानों का लाभ उठा कर पैसे को ही स्वयं को बढ़ाने के काम में लगाया जाता है या निवेश किया जाता है। इसलिए यदि करों में बचत और / या आय पैदा करने के दोहरे लाभ के साथ कुछ निवेश किए जाएँ तो इससे धन सृजन की प्रक्रिया काफी हद तक तेज हो जाती है।

यही कारण है कि योजना बनाना और जल्दी शुरू करना अच्छा है।

वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह के दौरान कई लोग अपना कर बचाने की दौड़ में लगे रहते हैं (जैसे जीवन बीमा या चिकित्सा बीमा) या अपने कर-बचत निवेश (जैसे पीपीएफ या एनपीएस

में योगदान) देना। जहाँ ये करों को बचाने में मदद करते हैं वहीं अंतिम समय के ये प्रयास इन योजनाओं का पूरा लाभ उठाने से हमें वंचित रखते हैं। जल्दी योजना बनाना और आरंभ करना निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है:

- वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लिया गया निवेश निर्णय व्यक्तियों को पर्याप्त जानकारी के साथ बिना किसी जल्दबाजी में निर्णय लेने का समय देता हैं। इसके अलावा यह पूरे वर्ष के लिए ब्याज भी जमा करता है।
- अंतिम समय और जल्दबाजी में लिए गए निवेश निर्णय नकदी का संकट पैदा कर सकते है। यह वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से कठिन हो सकता है क्योंकि यह अन्य उनकी वित्तीय जिम्मेदारियां जैसे किराया, ऋण चुकौती और ईएमआई को बाधित कर सकता है।
- इसके अलावा दीर्घावधि और नियोजित निवेश अल्पकालिक निवेशों की तुलना में लचीले होते हैं। अल्पकालिक निवेश अधिक परिवर्तनशील होते हैं जिन पर बाजार की अस्थिरता का अधिक खतरा होता है।

अंत में, याद रखें कंपाउंडिंग एक अद्भुत शक्ति है। यह ऐसा सुनहरा सिद्धांत जो यह सुझाव देता है कि अगर लाभ को पुनः निवेश किया जाएं तो धन तेजी से बढ़ता है और दीर्घकाल में सम्पति का सृजन होता है।

याद रखें कि डीमैट खाते में आप कई निवेश रख सकते हैं जैसे म्यूचुअल फंड यूनिट, टैक्स सेविंग बॉन्ड इत्यादि। उन्हें डीमैट रूप में रखने से आपको उनके कागजात की देखभाल, खोने का डर या उन्हें नुकसान से बचाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, इन निवेशों पर अर्जित ब्याज या लाभांश सीधे आपके लिंक किए गए बैंक खाते में जमा किए जाते हैं। अब बीमा पॉलिसियों को भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में बीमा पॉलिसियों को कैसे रखें, इसके बारे में अधिक जानने के लिए https://nir.ndml.in/ पर जाएं।

विभिन्न कटौतियों का लाभ कैसे लें?

यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि निर्दिष्ट योजनाओं आदि में सिर्फ निवेश, कर के बचाव के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। आपको आयकर रिटर्न दाखिल करते समय कटौती का दावा करने की आवश्यकता है। कुछ कटौतियों के लिए आपका नियोक्ता, आपके द्वारा किए गए भुगतान के प्रमाण मांग सकता है। इसलिए आवश्यक साक्ष्य सुरक्षित रखें। आपने अगर यह पहले नहीं किया है या कुछ दस्तावेज प्रदान करने से चूक गए हैं या अपने नियोक्ता द्वारा सूचित तिथि के बाद निवेश किया है तो भी आप आयकर रिटर्न दाखिल करने के समय कटौती का दावा कर सकते हैं। किसी मामले में अगर आपने पहले ही आयकर का भुगतान कर दिया है (नियोक्ता द्वारा टीडीएस के कारण) तो अतिरिक्त राशि का रिफंड के रूप में दावा किया जा सकता है।

एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक द्वारा निवेश करना आसान

एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक, एनएसडीएल की सहायक कंपनी है जिसका उद्देश्य है बैंकिंग को सभी के लिए सरल बनाना। इसका मोबाइल एप एनएसडीएल जिफ्फी सभी बैंकिंग जरूरतों के लिए एकमात्र समाधान बन गया है। चाहे बचत खाता खोलना हो, राशि हस्तांतरण, ऑनलाइन बिल भुगतान, म्यूचुअल फंड निवेश यह सब, कुछ क्लिक्स में किया जा सकता है।

म्यूचुअल फंड निवेश के लिए एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक को प्राथमिकता देने के कई कारण हैं:

- एनएसडीएल जिफ्फी एप के माध्यम से, कोई भी ईएलएसएस फंड के प्रदर्शन का नियमित ध्यान रख सकता है।
- एनएसडीएल जिफ्फी पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले फंड की सूची देखकर निवेश निर्णय लेना सरल हो जाता है।
- बचत खाते से म्यूचुअल फंड खाते में धन का आसान हस्तांतरण है।

NSDL Payments Bank

NSDL Jiffy

GET IT ON Google Play

एनएसडीएल जिफ्फी डाउनलोड करें : https://bit.ly/NSDLJoffyTFK_2

ईएलएसएस फंड सहित म्यूचुअल फंड में निवेश करना एनएसडीएल जिफी एप पर सरल है। इसके लिए निम्न चरणों का पालन करना चाहिए:

- अपने एनएसडीएल जिफी खाते में लॉग इन करें। यदि आपके पास खाता नहीं है, तो केवाईसी के लिए अपने आधार और पैन पैन कार्ड का उपयोग कर अपने लिए एक खाता खोलें।
- म्यूचुअल फंड अनुभाग पर जाएं, सभी आवश्यक विवरण व्यक्तिगत प्रोफ़ाइल और फटका फॉर्म में भरें।
- इक्विटी ईएलएसएस फंड पर क्लिक करें और उस ईएलएसएस फंड को चुनें जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं।
- अंत में, एसआईपी या लम्पसम में से एक को चुनें।

एनएसडीएल व्यापार नियमों में संशोधन - ऑफ-मार्केट ट्रांसफर के लिए ओटीपी

प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के संबंध में हाल ही में एक संशोधन के अनुसार, ऑफ मार्केट ट्रेड में प्रतिभूतियों का हस्तांतरण तभी प्रभावी होगा जब ग्राहक सिक्युरिटी ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन फॉर्म भर के ओटीपी से अपनी सहमति दें। यदि ग्राहक का संयुक्त खाता है, तो कोई भी धारक ओटीपी के माध्यम से इस तरह की सहमति प्रदान कर सकता है।

संदर्भ: एनएसडीएल वेबसाइट पर उपलब्ध परिपत्र संख्या एनएसडीएल / पालिसी /2020/0163 दिनांक दिसंबर 26, 2020

डीमैट गेटवे के माध्यम से डिलीवरी (वितरण) निर्देशों की स्वीकृति

ग्राहक को प्री-ट्रेड प्राधिकरण/अधिदेश प्रदान करते समय सेटलमेंट संख्या और सेटलमेंट तिथि का उल्लेख करना अनिवार्य है। यदि डेबिट केवल एक विशेष प्रतिभूति के लिए प्रभावी होता है तो अन्य प्रतिभूति के लिए प्रदान किया गया अधिदेश खत्म नहीं होगा। इसके अलावा ग्राहक से प्राप्त अधिदेश केवल एक सेटलमेंट संख्या / तारीख के लिए होना चाहिए। दी गई सेटलमेंट तिथि से पहले या बाद में उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

संदर्भ: एनएसडीएल वेबसाइट पर उपलब्ध परिपत्र संख्या एनएसडीएल / पालिसी /2021/0007 दिनांक फरवरी 04, 2021

शेयरधारकों द्वारा ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण

सेबी के नए निर्देश के अनुसार ई-वोटिंग सुविधा सभी डीमैट खाताधारकों को एक ही लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से उपलब्ध होनी चाहिए। 1 जून, 2021 से डीमैट खाताधारकों को अलग-अलग ई-वोटिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों (ईएसपी) के लिए अलग-अलग खाता बनाने और पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी डीमैट खाताधारकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके डीमैट खाते में उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही दर्ज हैं।

संदर्भ: सेबी परिपत्र संख्या: https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/dec-2020/e-voting-facility-provided-by-listed-entities_48390.html

"टैक्स वह राशि है जिसका भुगतान हम सभ्य समाज में रहने के विशेषाधिकारों के लिए करते हैं।"

फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट

निवेशक जागरूकता वेबिनार

निवेश के विभिन्न पहलुओं के बारे में निवेशकों को अवगत कराने के लिए एनएसडीएल पूरे देश में निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए, एनएसडीएल वेबिनार के रूप में निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों को जारी रखे हुये है। आगामी कार्यक्रमों / वेबिनार की सूची https://nsdl.co.in/Investor-Awareness-Programmes.php प्रकाशित की जाती है और नीचे भी दी गयी है। कृपया अद्यतन कार्यक्रम के लिए वेबसाइट का अवलोकन करें। वेबिनार में शामिल होने के लिए पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता होती है। पंजीकरण के लिए लिंक सूची के साथ उपलब्ध है। आपके संगठन / संस्थान के लिए कार्यक्रम आयोजित करने में हमें खुशी होगी। ऐसे कार्यक्रम आयोजित किये जाने के लिए कृपया हमें info@nsdl.co.in पर लिखें।

आगामी निवेशक जागरूकता कार्यक्रम

क्रमांक	दिनांक	समय	विषय	भाषा
1	3 अप्रैल, 2021	10.30 सुबह - 12.00 दोपहर	प्रतिभूति बाज़ार का परिचय	अंग्रेज़ी
2	3 अप्रैल, 2021	05.30 संध्या - 07.00 संध्या	सोने में निवेश - खुदरा निवेशकों के लिए क्यों और कैसे	हिन्दी
3	9 अप्रैल, 2021	05.30 संध्या - 07.00 संध्या	विभिन्न संपत्ति वर्गों को समझना	अंग्रेज़ी
4	10 अप्रैल 2021	10.30 सुबह - 12.00 दोपहर	प्रतिभूति बाज़ार का परिचय	हिन्दी
5	10 अप्रैल 2021	05.30 संध्या - 07.00 संध्या	शेयर बाज़ार में शेयर कैसे खरीदें और बेचें?	हिन्दी
6	16 अप्रैल, 2021	05.30 संध्या - 07.00 संध्या	म्युचुअल फंड में निवेश - खुदरा निवेशकों के लिए क्यों और कैसे	हिन्दी
7	17 अप्रैल 2021	10.30 सुबह - 12.00 दोपहर	प्रतिभूति बाज़ार का परिचय	मराठी
8	17 अप्रैल 2021	05.30 संध्या - 07.00 संध्या	मार्जिन आवश्यक्ताओं को समझें	अंग्रेज़ी
9	23 अप्रैल, 2021	05.30 संध्या - 07.00 संध्या	बीमा का महत्व	अंग्रेज़ी
10	24 अप्रैल 2021	10.30 सुबह - 12.00 दोपहर	प्रतिभूति बाज़ार का परिचय	अंग्रेज़ी
11	24 अप्रैल 2021	05.30 संध्या - 07.00 संध्या	प्लेज और मार्जिन प्लेज	अंग्रेज़ी
12	30 अप्रैल, 2021	05.30 संध्या - 07.00 संध्या	सोने में निवेश - खुदरा निवेशकों के लिए क्यों और कैसे	अंग्रेज़ी

अधिक शिक्षा, अधिक विवेक

नॉलेज विन्स कांटेस्ट

ईएलएसएस या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम का दूसरा नाम क्या है?

उत्तर भेजने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें या क्यू आर कोड स्कैन करें

25 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे उपहार

पिछले महीने के विजेता

अजय तिवारी - जयपुर
धना सेकरन - सलेम
गजेंद्र सिंह आर्या - जयपुर
गुंजन गुप्ता - दिल्ली
कलाइवानी गुणसेकरन - कृष्णगिरि
शाहिद गौरी - चित्तौड़गढ़
कमलेश तेली - निम्बाहेड़ा
कन्हैया गुर्जर – करौली
कथिरेश - थिरूपुर

लकाशेय पजनी - दिल्ली
लोकनाथ मिश्रा - जयपुर
मनोज कुमार - दिल्ली
मुकेश कुमार - प्रयागराज
पूर्वक जैन - सागवारा
पूषा कुमारी – मुजफ्फरपुर
पुष्पा यादव - जयपुर
रचित शर्मा - लखनऊ
रागेंद्र सिंह - कानपुर

रविशंकर गुप्ता - बांदा
रेखा गुप्ता - दिल्ली
सुदेश कुमार - सहरसा
उदिता जैन - सातारा
विकास रस्तोगी - बरेली
विजय कुमार - पूर्वी चंपारण
विनोद गोस्वामी - भीलवाड़ा

मुख्य कार्यालय

ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चौथा माला, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013

शाखायें

अहमदाबाद कोच्चि कोलकाता चेन्नई जयपुर नई दिल्ली बेंगलुरु लखनऊ हैदराबाद

डीमैट संबंधित किसी भी शिकायत के लिए हमें relations@nsdl.co.in पर ई-मेल लिखें
डीमैट संबंधित अन्य किसी जानकारी के लिए हमें info@nsdl.co.in पर ई-मेल लिखें

नियम और शर्तें :

1)इस प्रतियोगिता के निष्पादन के लिए केवल एनएसडीएल जिम्मेदार रहेगा। यह प्रतियोगिता सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। 2)एनएसडीएल के कर्मचारी इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। 3)व्यक्तिगत जानकारी पूरी और सही होनी चाहिए। 4)आवश्यकता पड़ने पर एनएसडीएल प्रमाण की मांग कर सकता है| 5)एनएसडीएल को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना दिए, प्रतियोगिता बंद करने का अधिकार है। 6)विजेताओं का चयन एनएसडीएल द्वारा किया जाएगा। एनएसडीएल का निर्णय अंतिम होगा|

नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट की ओर से **श्री प्रशांत वागल** (संपादक) द्वारा प्रकाशित